मद संख्या:- 2

विषय:- प्रस्तावित बजट वर्ष 1991 एंव वर्ष 90-91 का आय-व्यय लेखा

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 20.4.91 में वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक लेखा प्राधिकरण के विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ रखा गया था परन्तु बजट प्राविधानों को कम मानते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि व्यापक प्राविधान करते हुए संशोधित बजट बनाया जाय। अतः प्राधिकरण के निर्णय की अपेक्षानुसार वर्ष 1991-92 का संशोधित प्रस्तावित बजट एंव वर्ष 1990-91 का आय-व्यय लेखा, जिसका विस्तृत विवरण प्राधिकरण की बैठक से पूर्व माननीय सदस्यों को पृथक से उपलब्ध करा दिया जायेगा, बैठक में विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-2

प्रस्तावित बजट, 1991-92 एंव वर्ष 1990-91 का आय-व्यय लेखा।

प्राधिकरण की विगत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार समुचित भावी योजनाओं कासमावेश करके संशोधित बजट वर्ष 1991-92 के लिए रूपये 776-00 लाख (सात करोड छियत्तर लाख) की आय तथा 773.40 लाख (सात करोड तिहत्तर लाख चालीस हजार) के व्यय के प्राविधान का प्रस्ताव रखते हुए बजट आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया। इस पर निम्नांकित निर्देशों के पालन की अपेक्षा करते हुए सर्वसम्मति से वर्ष 1991-92 का बजट एंव वर्ष 1990-91 के आय-व्यय लेखे को अनुमोदित किया गया है।

1- वर्ष 1991-92 हेतु प्रस्तावित आय की समाधान शुल्क मद में रूपये 3.75 लाख की आय के प्रस्ताव के विरुद्ध यह अपेक्षा की गयी कि इस मद में रू0 25.00 लाख की आय प्राप्त करने के ठोस प्रयास किए जॉय, तथा अतिरिक्त प्रस्तावित आय को विकास कार्यों पर व्यय किया जाये। विकास शुल्क की मद में प्रस्तावित आय रूपये 25.00 लाख को रूपये, 50.00 लाख की सीमा तक बढाये जाने के प्रयास की अपेक्षा करते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित आय को विकास कार्यों में व्यय करने के निर्देश दिए गये।

2- वर्ष 1991-92 के प्रस्तावित व्यय प्राविधानों की राजस्व व्यय मदमें यह निर्देश दिए गये कि रूपये 66.40 लाख के प्रस्तावित व्यय को रूपये, 60.00 लाख की सीमा तक नियन्त्रित रखा जाये तथा वेतन आदि की मदों में जो रूपये 6.40 लाख के व्यय की कमी की गयी है उसे विकास व्यय की मद में बढाया जाय।

3- प्राधिकरण द्वारा योजनायें तेजी से चलाये जाने एंव शहर के बाहर सस्ती जमीन अधिग्रहण आदि से प्राप्त करके अतिरिक्त भावी योजनायें चलाये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए यह अपेक्षा की गयी कि कम से कम रूपये, 400.00लाख रूपये (चार करोड) व्यय की अतिरिक्त योजनायें तुरन्त तैयार करके चालू की जॉय तथा इन योजनाओं को चलाने के लिए शासन/हडको आदि से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर लिया जा

सचिव
[illegible] विकास प्राधिकरण
[illegible]

जोशी/